



F- 07-08  
F- 07-11

**सेना उडनयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र**  
**CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION**

**IS/ISO: 9001:2008**

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन  
**DEFENCE R&D ORGANISATION**

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय  
**GOVERNMENT OF INDIA**

**MINISTRY OF DEFENCE**

मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु - 560 037

**MARATHAHALLI COLONY P.O**

**BENGALURU -560 037**

वर्ग अनुमोदन सं.:808 का संशोधन सहित नवीकरण/  
**Amendment-cum-Renewal of Type Approval No.: 808**

**विषय/Sub: ग्राफाइट सीलिंग रिंग और ग्राफाइट बुश /**

**Graphite Sealing Ring & Graphite Bush**

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स असम कार्बन प्राइवेट लिमिटेड, सं.2, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया, फेस-1, पतंचेरू - 502 319 द्वारा अभिकल्पित, विकसित तथा उत्पादित " ग्राफाइट सीलिंग रिंग, पार्ट सं. 470 450 164 और ग्राफाइट बुश, पार्ट सं. 470 450 168 के ग्राफाइट ग्रेड ईवाई 9106 " को सेमिलैक/ 5070/ टीए- 808 दिनांक 07 अगस्त 1997 द्वारा वर्ग अनुमोदन सं.:808 जारी किया गया था। तदुपरान्त सन्दर्भ सं.: सेमिलैक/ 5070/ टीए- 808/4आर दिनांक 12 जुलाई 2013 द्वारा नवीकरण किया गया जिसकी वैधता 30 जून 2018 तक थी।

*This is to state that the "Graphite Sealing Ring, Part No.: 470 450 164" and Graphite Bush, Part No.: 470 450 168 of Graphite Grade 'EY9106', designed, developed and manufactured by M/s Assam Carbon Private Limited, No. 2, Industrial Development Area, Phase - I, Patancheru - 502 319, was issued with Type Approval No.: 808 vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA-808, dated: 07<sup>th</sup> August 1997. It was subsequently renewed vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA-808/4R, dated: 12<sup>th</sup> July 2013, with validity up to 30<sup>th</sup> June 2018.*



2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 अगस्त 2018 से संतोषजनक निष्पादन प्रतिपुष्टि के आधार पर किया जाता है तथा 31 जुलाई 2023 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (03) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (कोरापुट), सेमिलैक, सुनाबेडा-763 002, से अनुरोध करना होगा।

*This is to certify that the Type Approval is hereby renewed w.e.f. 01<sup>st</sup> August 2018 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 31<sup>st</sup> July 2023 unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Koraput), CEMILAC, Sunabeda -763 002, three (03) months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.*

3. संदर्भ सं. सेमिलाक/5070/टीए - 808, दिनांक 07 अगस्त 1997 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद पाँच (05) में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

*The Para five (05) of original Type Approval Certificate vide Reference Number: CEMILAC/5070/TA-808, dated: 07<sup>th</sup> August 1997 is amended as stated herewith.*

“[अगर इस टाइप रिकॉर्ड के एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु - 560 037 की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।]”

*“[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru - 560 037, is to be obtained to adopt any changes in the SOP and in the declared performance indicated in the Type Record. The Type Approval is not transferable to any other agency]”.*

4. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होंगी।

*All other conditions stipulated in the initial type approval certificate remain unaltered, and fully applicable.*

सं./No.: सेमिलैक/CEMILAC/5070/टी.ए/TA-808/5R

दिनांक/ Date: 06 August 2018

फैक्स सं./ Fax No.: 080 - 2523 0856

*HR*

*P. Jayapal*

पी . जयपाल/ P. JAYAPAL  
उत्कृष्ट वैज्ञानिक / Outstanding Scientist  
मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता)/  
Chief Executive (Airworthiness)